## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED कोच्ची / KOCHI - 15

सं/No.PERL/17(28)/2014 Pt

तिथि/Date: 10 अगस्त/Aug 2022

## वर्ष 2022-23 केलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलिए ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी आईपी/डे केयर उपचार केलिए कमरे का किराया और नर्सिंग शुल्क की पात्रता GROUP MEDICLAIM POLICY FOR RETIRED EMPLOYEES FOR THE YEAR 2022-23 ENTITLEMENT OF ROOM RENT & NURSING CHARGES FOR IP / DAY CARE TREATMENT

- 1. कृपया वर्ष 2022-23 केलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलिए ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी से संबंधित दिनांक 20 मई 2022 के परिपत्र सं. पीईआरएल/17 (28)/2014 भाग का संदर्भ लें। Please refer Circular No.PERL/17(28)/2014 Pt dated 20 May 2022 with regard to Group Mediclaim Policy for Retired Employees for the year 2022-23.
- 2. योजना के अंतर्गत कमरा/बिस्तर प्रभारों की पात्रता के संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं और अब इस संबंध में पात्रता को निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है : Several queries on entitlement for Room/Bed charges under the scheme have been received from the retired employees and it has now been decided to fix entitlement in this regard as under:

क्र . सं . S.N	सेवानिवृत्ति के समय श्रेणी Category at the time of Retirement	पात्रता कोड Entitlement Code	प्रतिदिन कमरे का किराया + नर्सिंग प्रभार (रु.) Per Day Room Rent + Nursing Charges (Rs.)
1	कामगार Workmen	W	2,000.00
2	पर्यवेक्षक Supervisors	S	3,500.00
3	कार्यपालक (सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक/ प्रबंधक एवं व . प्रबंधक) Executives (Asst. Manager / Dy. Manager/ Manager & Sr. Manager)	E2	5,000.00
4	कार्यपालक (स.म.प्र., उ.म.प्र., म.प्र., मु.म.प्र. एवं का.नि.) Executives (AGM, DGM, GM, CGM & ED)	E1	5,500.00
5	अ . एवं प्र . नि . एवं निदेशकगण CMD & Directors	D	7,900.00

3. उपरोक्त पात्रता विवरण बीमा कंपनी को पहले ही सूचित कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्वितों द्वारा पूर्व-प्राधिकरण और आईपी/ डे केयर उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के सभी अनुरोधों को कमरे/ बिस्तर प्रभार पर उपरोक्त उच्चतम सीमा के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

The above entitlement details have already been communicated to the Insurance Company. All requests for Pre-Authorisation and reimbursement of expenses towards IP/Day care treatment by the retired employees and their eligible dependents during the year 2022-23 shall be approved based on the above ceiling on room/bed charges.

- 4. उपरोक्त उच्चतम सीमा दिनांक 03 अगस्त 2022 से लागू होगी। The above mentioned ceiling shall be applicable with effect from 03 Aug 2022.
- 5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of the Competent Authority.

(ए के सुबाष / A K Subash)

महाप्रबंधक (मा.सं.) / General Manager (HR)

## सेवा में / To:

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी / All Retired Employees सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी यूनियन और संघ। All Unions and Associations representing Retired Employees

## प्रतिलिपि / Copy to:

नि (तक.) /नि (वि.) /नि (प्र) /D(T) /D(F) /D(O)
मृ.स.अ./CVO
मृ.म.प्र./म.प्र./उ.म.प्र./CGMs /GMs /DGMs
मृ.स्.अ./मृ.क.अ./मृ.चि.अ./ CSO/CWO/CMO